2040

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

:: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की ऊर्जा/प्रकाश सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण करने हेतु सौर–ऊर्जा सहायता योजना ::

1. योजना का नाम :– " सौर–ऊर्जा सहायता योजना "।

2. योजना का उद्देश्य :–

योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों एवं उनके परिवार की ऊर्जा/प्रकाश सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण करना है। इससे न केवल उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी बल्कि उनके आश्रित बच्चों के अध्ययन में सहायता मिलेगी तथा आश्रितों एवं परिवार के जीवन स्तर का भी उन्नयन होगा। वर्तमान में पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण पर हो रहे प्रभाव पर चिन्ता व्याप्त है एवं ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम किये जाने के लिये लगातार बल दिया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन होगा, अपितु वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा, जिससे सामान्य–जन में इस प्रकार के सकारात्मक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

3. पात्रता :–

इस योजना के अर्न्तगत वे सभी श्रमिक पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अर्न्तगत लाभार्थी श्रमिकों के रूप में पंजीकृत है एवं उनका अंशदान अद्यतन जमा हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिको को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सोलर लाईट/लालटेन का लाभ प्रदान किया गया हो तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

4. हितलाभ :–

पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक, जो अधिनियम के अर्न्तगत आवर्त होते हैं, को सोलर लाईट प्रदान करने हेतु नेडा, उ0प्र0 को बोर्ड द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नेडा, उ0प्र0 द्वारा उन्ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अच्छी गुणवत्ता की सोलर लाईट/~~सोलर~~ लालटेन (एल0ई0डी0/

सी0एफ0एल) उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी सूची क्षेत्रीय श्रम कार्यालय द्वारा नेडा, उ0प्र0 को दी जायेगी। योजना में निम्न प्रतिबन्ध लागू होंगेः–

1. सोलर लाईट/लालटेन प्रदान करने हेतु निर्माण श्रमिक को किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। समस्त भुगतान नेडा, उ0प्र0 को किया जायेगा।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को सोलर लाईट/लालटेन सम्पूर्ण जीवन काल में केवल एक बार दी जायेगी। यदि पति और पत्नी दोनों निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो सोलर लाईट/लालटेन अनुदान योजना का लाभ उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही अनुमन्य होगा।
3. सोलर लाईट/लालटेन में यदि कोई कमी अथवा खराबी आती है तो इस हेतु लाभार्थी को सीधे नेडा, उ0प्र0 से सम्पर्क करना होगा। सोलर लाईट के रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित लाभार्थी की होगी एवं अनुरक्षण का समस्त व्यय लाभार्थी को स्वंय देना होगा। उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. सर्विस चार्ज का भुगतान नेडा, उ0प्र0 को लाभार्थी श्रमिक से सीधे लेना होगा।
5. नेडा, उ0प्र0 का यह दायित्व होगा कि बोर्ड द्वारा सूचित लाभार्थी को सोलर लाईट/लालटेन प्रदान करने के पश्चात् सम्बन्धित बिल की छायाप्रति तथा प्राप्ति रसीद, सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय को उपलब्ध कराये।
6. उक्त योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली देयताओं का वित्त पोषण बोर्ड द्वारा नियमानुसार किया जायेगा तथा यह समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधनीय होगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन का कोई दायित्व नहीं होगा और न ही शासन द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता वर्तमान अथवा भविष्य में दी जायेगी।
7. श्रमिकों की शिकायतों को हल करने हेतु ठोस प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। योजना के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी इन योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

5. <u>आवेदन प्रकियाः–</u>

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय या तहसील कार्यालय के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के खण्ड विकास अधिकारी एवं किसी भी पंजीकरण

कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुये प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

2. आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित श्रमिक द्वारा लाभार्थी श्रमिक के पंजीयन की प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. हितलाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रख–रखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया :

1. योजना के अर्न्तगत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय एवं किसी भी पंजीकरण कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जायेगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करेंगे एवं इसका उल्लेख चेक लिस्ट तथा प्राप्ति रसीद में भी करेंगे। यदि कोई अभिलेख संलग्न नहीं हैं, तो उसे चेक लिस्ट में "प्राप्त नही" के रूप में दर्ज करेंगे।
2. जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध किया जायेगा। उन्हें परीक्षणोपरान्त पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेंक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जायेगी।
3. क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय समझते है तो प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जॉच जिला श्रम कार्यालय के अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से करवा सकते हैं। स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही पत्रावली प्रस्तुत होने के 10 दिन के अन्दर पूर्ण कर लीं जायेगी ।
4. प्रार्थनापत्र की, स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना प्रपत्र–2 पर आवेदक को प्राप्त कराने हेतु 03 दिन में सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय को दी जायेगी। जिला श्रम कार्यालय 07 दिन में आवेदक को सूचित करेगें।

5. आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त विलम्बतम 03 दिन के अन्दर, स्वीकृति प्राप्त पत्रावलियों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि नेडा, उ0प्र0 को बैंक खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम से नियमानुसार भुगतान करेंगे। प्राप्ति रसीद की मूल प्रति जिला श्रम कार्यालय में संरक्षित रखी जायेगी तथा उसकी छायाप्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय को भेजी जायेगी।

6. योजनान्तर्गत प्रत्येक माह की प्रगति संबंधित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी के संज्ञानार्थ क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

7. संबंधित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी द्वारा प्रगति का सम्यक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी।

7. कठिनाईयों का निवारण :–

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

:: अधिसूचना ::

" उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड " द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ " सौर ऊर्जा सहायता योजना " की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या 1781/36-2-2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ " सौर ऊर्जा सहायता योजना " निम्न प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचित की जाती है :-

1. [illegible] सहायता योजना के अ[illegible]त एक श्रमिक [illegible] सुलभ [illegible] किये जाने विषयक प्रावधान कर लिया जाये तथा प्रश्नगत योजना के अंतर्गत सृजित होने वाली देयताओं का वित्त पोषण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर लगने वाले सेस व अन्य श्रोतों से होने वाली आय से नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन का कोई दायित्व नहीं होगा और न ही शासन द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता वर्तमान अथवा भविष्य में दी जायेगी।
2. प्रश्नगत योजना में श्रमिकों की शिकायतों को हल करने हेतु ठोस प्रक्रिया निर्धारित की जाये, जिसके अंतर्गत जिला पर कार्यरत अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बाध्य हों तथा दोषी अधिकारियों पर उचित कार्यवाही हो सके।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(आई0 पी0 पाण्डेय)
अपर श्रमायुक्त/अपर सचिव, बोर्ड
कृते सचिव, बोर्ड।

कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्रांक : [illegible] /भ0नि0बोर्ड(250)-11

दिनांक : [illegible] /12/2011

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. [illegible]
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (फील्ड) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0 प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 1781/36-2-2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक : यथोक्त।

(आई0 पी0 पाण्डेय)

03/12/15 (243)

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 9416–9547/भ0नि0बोर्ड(250)–11, दिनांक–22.12.2011 के माध्यम से **"सौर ऊर्जा सहायता योजना"** अधिसूचित की गई थी।

तत्क्रम में बोर्ड 29वीं बैठक दिनांक 16.01.2015 में लिये गए निर्णय के क्रम में शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–15/2015/1014/छत्तीस–2–2015–238/11 दिनांक–26.11.2015 के माध्यम से अनापत्ति प्रदान करते हुए पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **"सौर ऊर्जा सहायता योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं–

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
1	2	3
प्रस्तर–4 हितलाभ	1. पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक जो अधिनियम के अंतर्गत आवर्त होते हैं, को सोलर लाइट प्रदान करते हुए नेडा, उ0प्र0 को बोर्ड द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।	1. पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक, जो अधिनियम के अंतर्गत आवर्त होते हैं, को सोलर लाइट सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत अगले कार्यादेश से प्रत्येक लाभार्थी से रू0 250/–की धनराशि अंशदान के रूप में लिया जाएगा।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 5557 /भ0नि0बोर्ड(312)–2015 दिनांक– 30/11/2015

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अपुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों कों ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–15/2015/1014/छत्तीस–2–2015–238/11 दिनांक–26.11.2015 के क्रम में सूचनार्थ।

(आर0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव, बोर्ड।